षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-11.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री डॉ० अब्दुल गफूर, स०वि०स० श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री अवधेश कुमार सिंह, स०वि०स० श्री श्रीनारायण यादव, स०वि०स० श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री सदानंद सिंह, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री रामविचार राय, स०वि०स०	शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-583, दिनांक-15.04.19 के आलोक में अनुकम्पा पर नियोजन हेतु मृत सरकारी शिक्षक के आश्रित को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक किये जाने के कारण अनुकम्पा के आधार पर नियोजन बन्द हो गया है । अतः मृत सरकारी शिक्षक के आश्रित को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता को खत्म करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स० श्री भोला यादव, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री गुलाब यादव, स०वि०स० श्री राजेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री रवींद्र सिंह, स०वि०स० श्रीमती एज्या यादव, स०वि०स० श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स०	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञप्ति वि०स०-02/19 में संवर्गवार आरक्षण नहीं दिया गया है । उदाहरण स्वरूप पुलिस उपाधीक्षक के 62 पदों में से पिछड़ा वर्ग को शून्य, अति पिछड़ा को मात्र 04 पद दिया गया है जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 06 सीट दिया गया है । आरक्षण, संविधान में निहित प्रावधान के तहत प्रतिनिधित्व का है । इस तरह बिहार पुलिस सेवा में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व मानक के अनुरूप नहीं है । अत: प्रत्येक संवर्ग में सभी वर्ग के समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	सामान्य प्रशासन

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/19- 808 / वि०स०, पटना, दिनांक-10 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/19- 808 / वि०स०, पटना, दिनांक-10 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

10/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।